yîa,

श्री अभोक कृमार क्रा. शध्वश्र आपूर्व निर्माण मृह विमाणि शहलारी श्रीशीत, कटनी भूमाप्रश्री

Para.

ं गाम रिक्री,न॰व॰-108, प॰व॰वं॰ 45/2,ववरा नं॰ 51/13,391/1-302/1,383/1-2,**3**84/1-2 स्वं 385 जा माल तृत रहता 2,18,88 वर्षदुट मूर्वि को दीमन्थास इत्मोदन द्वारह ।

तंदर्भ:


आपना आहेतन-पत्र दिनांच 24/12/1998

-X X X "

तंदीकी आपके हाटेंदन-पत्र में यथानिकी शिष्णातीय तीनन्तात तर्थी हिला जायों के क्यिनित्य करने हेतू एतदहारा मण्ड्र नगर तथा जाम निरोध शिधीन एम 1973 की धारा 16 रचे मण्ड्र स्त्रीम निराम नियम 1984 के नियम 2ई 5 के एतं थी के प्रतिस्थानों है अपोन नियमी लिखत शतों के अधीन अभिन्यात में लाल स्थाही से किये गढ़े स्थान के स्वाह नियमी कि क्यीन अभिन्यात में लाल स्थाही से किये गढ़े स्थान क्ष्मित हिलास अनुवार नियम स्त्री के तहत दी जातों के स्थान किया गढ़े के तहत दी जातों के

- है। हैं संतरन अभिन्यास के आधार फ्र कालोगी के आंतरिक दिलात हेतू भा देश अनुसार 10% धरोहर तथा 2% सुपरतीजन की राधि नगर निगम, कटनी में जमाकरकानी होगी।
- [28]

  1997 के परिचालन में आवासीय कीमन्यास जी स्वीकृति में पायत ने जी शावासीय कीमन्यास जी स्वीकृति में पायत ने जी शावासीय की सामा करने की शावासीय स्वीकृति में पायत ने की शावासीय स्वीकृति में पायत ने की शावासीय स्वीकृति में पायत करने की शावासीय स्वीकृति में पायत ने की शावासीय स्वीकृति में पायत स्वीकृति स्वीकृति में पायत स्वीकृति स्व
- पह अनुझा जारो होने ही तारी अंते 60 दिन है अंदर ही मन्यात अनुसार सी मांकन में अन्तर जाने घर इस लार्थातय से सी मांकन ही अन्तर न्यात अनुभोदन कराना होगा ।
  - हैं कि जार्च प्रारंश अने के पूर्व वार्वधीनक ही वधा कैसे:- जह प्राप्त मह प्राह, हथा के बानी की निकासी, विद्वत हैं बार्वधीय कैसिन के में जी कह नवर नियम से उसका अनुगोदन कराना होगा।



रूठ है भीम विकास कार्य प्रांस्थ करने के पूर्व अनुनिधागीय अधिकारी से भूमि का ट्यपवर्तन कराया जाना आक्षयक्**षर** होगा।

१७० भूतण्डों का आवटन सम्पूर्ण विकास कार्य होने के उपरांत स्तीकृत अभिन्यास के अनुसार किया जादे।

रूष कालोनी का विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही भटन निर्माण की अनुह्या नगर निगम कटनी द्वारा दी जावेगी।

पूर्व नौकरों हेत आरिश्वत 15% भीम जिसका अधिपत्य नाथह तहसील दार नवूल कटनी को दिनांक 16·10·95 को सौधा नवा है, का विकृय सर्व हस्तातरण विजित होगा ।

१।0१ अभिन्यास में आरक्षित पार्क हेत् बुले क्षेत्र एवं प्रति सौ मीटर पर एक की दर से सडकों के दोनों और नियोजित वृक्षारोपण करना अनिलां होगा।

रूपाई विसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व एवं तीमा विवाद होने तथा गलत जानकारी देने या द्वाप में उल्लेखित इती के उल्लंघन की दशा में दी गई अनुज्ञा स्वयं निरस्त हो जावेगी।

है। 2 कार निगम दारा निम्न कार्यवाही सुक्किकि सुनिष्ठियत की जाने प

अ• सीमीत द्वारा आतिरक विकास के 10% धुरतेहर राशि एवं 2% सुपरवीजन राशि नगर नियम में जमा होगी।

ब भूमि का डायवरीन कराया जाना तथा विलाधयक्ष से विकास अनुमीत प्राप्त करना ।

स• समिति द्वारा जिये गये विकास कार्य संतोधकनक पाया जान तथा विकास कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार करना ।

उपरोक्त शती के अतिरिक्त यह भी स्वष्ट किया जाता है कि



एक मण्डण भू-राजस्य सीहता 1959 •

दो- नगर भूमि अधिकतम सीमा विनियमन अधिनियम । १७७६ •

तीन- न0प्रा नगर पातिका- है कालोनाईकर का रिजस्ट्रीकरण निवैधीन तथा वार्ती है नियम 1998

चार- मठपूठ नगर धालिका अधिनियम 1956 तथा अन्यशिधीनयम के अन्तर्गत बीद कोई अनुमीत/अनुझा प्राप्त करना हो तो वह लेनी होगी तथा उत्तर्भे आरोधित धरों का पालन करना होगा।

संतरन- अनुगोदित अभिन्यात जी पृति।

तंपूर्त तेवातक मगर तथा गुरम विशेषा जवलपर जिल्ला

प्रीतिलीप:

।- जिलाध्यक्ष , जिला-कटनी को कालोनाईजुर नायतेंस कृगाक-77 विदनाक 22/4/95 के संदर्भ में तूचनार्थ अग्रेस्स ।

2- आयुक्त, नगर निगम, कटनी, विला-कटनी की और तूवनार्ध।

3- अनुविभागीय अधिकारी कटनी को उनके पत्र कृमांक 20/रीहर/ अ•ित•अ•/नणूल/95 दिनांक 30•।०•95 के संदर्भ में, दूरी बत रेक्या गमा है कि सीमीत की इनफारमल सेक्टर डेल् 31500 वर्गफुट भूकि का कब्जा नायत तहसीलदार द्वारा प्राप्त किया गया है, तूयनमध् प्रेषित।

i- अधीक्षण, भू-अभितेष, भू-परिवर्तन शाखा, कटनी की ओर तूकनार्ध

संदुक्त संगालक नगर तथा गाम निवेधा जवलपूर

